महिलाओं का आरक्षण

(4)

संख्या 18/1/99/का-2/99

822

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० ।

कार्मिक अनुभाग-2:   लखनऊ: दिनांक: 26, फरवरी, 1999

विषय:- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

1. आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा । पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा ।
2. आरक्षण हारजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा ।
3. यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी ।
4. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया जायेगा ।
5. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हतायें, पद संबंधी सुसंगत सेवानियमावली में उल्लिखित पूर्ववत अर्हताओं के अनुरूप रहेंगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

...2...

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद 10/3/99

पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) उ०प्र०, लखनऊ

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उनपर यह आदेश लागू नहीं होंगे। चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा/साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है। जिन भर्तियों का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों है उनके सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।

7. लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में परिभाषित लोक सेवाओं और पदों से है।

कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि शासनादेश से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी अवगत करा देवें।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
सचिव।

संख्या 18/1/99-का-2/99 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध सहित कि कृपया अपने संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें:-

1- सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0।
2- निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 को प्रचार-प्रसार हेतु।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार)
सचिव।

संख्या-18/1/99/का-2/99

प्रेषक,

श्री मोतीन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 30 अगस्त, 1999

विषयः- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99 दिनांक 26, फरवरी, 99 द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है । इस शासनादेश के विशिष्ट बिन्दुओं का उल्लेख निम्नवत किया जा रहा है:-

1. आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा । पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा ।
2. आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा ।
3. यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जावेगी ।
4. राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जावेगा व भविष्य के लिए अग्रेषित नहीं किया जावेगा ।

...2...

5. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हताएं, यथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवानियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूप रहेंगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6. लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित "लोक सेवाओं और पदों" से है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि इस शासनादेश का अनुपालन अनेक विभागों में नहीं किया जा रहा है जबकि इस शासनादेश के तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के आदेश दिए गये थे अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 99, तत्काल प्रभाव से अर्थात् 26 फरवरी, 99 से लागू माना जायेगा लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए 26.2.99 को विज्ञापन जारी किये जा चुके थे या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी उन पर यह शासनादेश लागू नहीं किया गया है। शासनादेश की तिथि दिनांक 26.2.99 या उसके बाद जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं या जिन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया इस तिथि के बाद होती है उन पर यह आदेश लागू होगा।

कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0-योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव।

संख्या-18/1/99/का-2/99 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ कि कृपया अपने संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0।
2. निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

....3....

4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 को प्रचार-प्रसार हेतु ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. समस्त निजी सचिव, मा0 मन्त्रीगण ।

आज्ञा से,

ह0- सुधीर कुमार
सचिव ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
सं0-234/58/मिस/एस-10/81-82टी. सी.-III
दिनांक: इलाहाबाद सितम्बर, 1999

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त निजीसचिव (मा0अध्यक्ष/सदस्यगण के सूचनार्थ)/सचिव के वैयक्तिक सहायक।
(2) समस्त प्रभारी अधिकारी ।
(3) समस्त अनुभाग अधिकारीगण/सहायक लेखाधिकारीगण/पर्यवेक्षक तथ्य संसाधन ।
(4) इंचार्ज नियंत्रणकक्ष/शोधअधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष ।

आज्ञा से,

23/9/99

(एस. एन. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–18/1/99/का–2/2006

प्रेषक,

पी0एन0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक, 9 जनवरी, 2007

विषयः–राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 1999 तथा 30 अगस्त, 1999 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये गये थे :–

(1) आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रकम पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।

(2) आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(3) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।

(4) राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(5) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूप रहेगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं, या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रकिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। चयन की प्रकिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा/साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है। जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हैं उनके सम्बन्ध मे चयन प्रकिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।

(7) लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित "लोक सेवाओं और पदों" से है।

3. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेशों की व्यवस्था का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है।

भवदीय,

(पी0एन0 यादव)
विशेष सचिव, ।

संख्या–18/1/99/का–2/2006(1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
अनु सचिव।